शासन-543
HDM

संख्या–313/79–6–2018–1666/2010

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 08 मार्च, 2018

विषयः–वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति सब प्लान से परिवर्तन लागत मद में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक(एन0सी0एल0पी0 विद्यालयों सहित) विद्यालयों (जिसमें माध्यमिक विद्यालयों में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाएं भी सम्मिलित हैं) हेतु केन्द्रांश/राज्यांश की चतुर्थ किस्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या–म0भो0 प्रा0/5878/2017–18 दिनांक 30.01.2018 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के लेखानुदान में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–कुकिंग लागत आदि योजना में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष मध्यान्ह भोजन वितरण व्यवस्था के दृष्टिगत परिवर्तन लागत के रूप में प्राथमिक विद्यालयों हेतु धनराशि रू0–5400.41 लाख (रू0 चौवन करोड़, इक्तालिस हजार मात्र) (के.3238.07 लाख + रा.–2162.34 लाख) एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु धनराशि रू0–3413.79 लाख (रू0 चौंतीस करोड़, तेरह लाख, उनयासी हजार मात्र) (के.–2046.88 लाख + रा.–1366.91 लाख) अर्थात कुल धनराशि रू0–8814.20 लाख (रू0 अठ्ठासी करोड, चौदह लाख, बीस हजार मात्र) की धनराशि तृतीय किस्त के रूप में संलग्न जनपदवार विवरण 1 व 2 के अनुसार व्यय किए जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में पके–पकाये भोजन की व्यवस्था हेतु परिवर्तन लागत की दर रू0–4.13 प्रति छात्र प्रतिदिन होगी जिसमें केन्द्रांश रू0–2.48 तथा राज्यांश रू0–1.65 होगा तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु पके–पकाये भोजन की व्यवस्था हेतु रू–6.18 प्रतिछात्र प्रतिदिन होगी जिसमें केन्द्रांश रू0–3.71 तथा राज्यांश रू0– 2.47 होगा।

2– वास्तविक धनराशि का आहरण ही कोषागार से किया जायेगा एवं जितनी धनराशि आहरित हो उसका व्यय निर्धारित अवधि में सुनिश्चित कर लिया जाय। योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा व योजना का समुचित अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी अनियमितता के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

3– यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मध्यान्ह भोजन का लाभ वर्ष भारत सरकार द्वारा निर्धारित कार्य दिवसों तक ही सीमित रखा जायेगा।

––2/.

वित्त नियंत्रक
इ. आ. वा. हेतु।

8-3-18
(अब्दुल समद)
निदेशक
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

CPO
8/3/18

Scanned by CamScanner